कार्यालय
क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
'अरण्य विकास भवन', 73—नेहरु रोड़, देहरादून — 248001 दूरभाषः 0135—2710230 फैक्स : 0135—2655059
E-mail :- rmvannigamtehri@gmail.com

पत्रांक शि. / दिनांक / /2020

वाहन नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निष्प्रयोज्य एस्टीम वाहन संख्या **UK 07 J-0778** (Model 2003) का सार्वजनिक नीलाम दिनांक 23.11.2020 को चन्द्रबनी विक्रय डिपो, देहरादून में प्रातः 11.00 बजे सम्पन्न किया जायेगा। नीलाम की शर्ते उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाईट **ukfdc.uk.gov.in** या **www.uafdc.in** से प्राप्त की जा सकती है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
देहरादून

C.P.M

R.M. Tehri

"निविदा शर्तें"

क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के अधीनस्थ निष्प्रयोज्य स्टीम वाहन संख्या–UK-0J-0778 (डीजल) मॉडल वर्ष 2003, का दिनांक 23.11.2020 को चन्द्रबनी विक्रय डिपो, देहरादून में सार्वजनिक नीलाम के माध्यम से नीलाम किया जाना है।

बिक्री स्थल	विवरण
चन्द्रबनी विक्रय डिपो, देहरादून	अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के बेसमेंट में वाहन खड़ा है। जहां है जैसा है के आधार पर नीलामी।

1. वाहन का विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक क्रेता को नीलाम में सम्मिलित होने से पूर्व नियमानुसार डिपो में गेट मनी रू0 2,000/– जमा करना होगा, केवल गेटमनी/जमानत जमा करने वाले क्रेता ही अपने नाम से बोली दे सकते है।
2. नीलाम से बिक्री किये जाने वाले वाहन एवं उसके कागजात की स्थिति बोली देने से पूर्व ज्ञात करना बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। वाहन के कागजात की जानकारी श्री शीशपाल, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, कार्यालय–क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), देहरादून से ली जा सकती है।
3. वाहन की बिक्री हो जाने के बाद वाहन की गुणवत्ता एवं कागजात के विषय में क्रेता की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
4. वाहन का नीलाम सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर होगा।उत्तराखण्ड वन विकास निगम को ये अधिकार होगा कि उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकता है।
5. क्रेता को नीलाम में भाग लेने हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा। बिना आधार कार्ड नीलाम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. नीलाम प्रक्रिया स्थगित/निरस्त होने की दशा में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता को कार्यादेश, सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी किया जायेगा।
8. अनुमोदन पत्र जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर सफल बोलीदाता/क्रेता को वाहन की कीमत एवं उस पर देय समस्त टैक्स जमा करने के पश्चात् ही वाहन की आपूर्ति की जायेगी। निर्धारित अवधि में कीमत जमा न करने पर उच्चतम बोलीदाता की जमानत की धनराशि व उनके द्वारा जमा की गयी 20 प्रतिशत कीमत जब्त कर ली जायेगी, जो उत्तराखण्ड वन विकास निगम के हित में होगा।
9. वाहन क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप न होने या शर्तो का उल्लंघन करने पर सफल बोलीदाता/क्रेता की गेटमनी/जमानत जब्त कर ली जायेगी।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक (उत्पादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून अर्बिट्रेटर होंगे, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. उच्चतम बोलीदाता/क्रेता को वाहन के विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत + जी0एस0टी0 नियमानुसार मौके पर जमा करना होगा।
12. उच्चतम बोलीदाता/क्रेता द्वारा वाहन को प्राप्त करने से पूर्व वाहन अपने नाम पंजीकृत स्वयं कराना होगा।

दिनांक 10/11/2020

क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून।